(iv) निर्यात योग्य अन्य मदों के कल्चर उत्पादन का विकास करना;

(v) नई प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन आरम्भ करना ;

(vi) प्रोसेसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी में सुधार लाना तथा अपशिष्ट में कमी लाना।

पंजाब में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कदम

*214. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्टेप्स टू रिक्लेम पंजाब वेस्टलेंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है अनेक कारणों से पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में कृषि भूमि परती पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या सरकार ने इस परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। समाचार में उल्लिखित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1986-87 में 40,000 हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र, अकृषित रहा, वर्ष 1987-88 में ऐसी भूमि 39,000 हैक्टेयर और वर्ष 1988-89 में 32,000 हैक्टेयर थी।

(घ) और (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में मृत्यु दंड के विरोध में लंबित मामले

*215. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में मृत्यु-दंड के विरोध में कितने मामले लंबित थे;

(ख) वर्ष 1990 और 31 अगस्त, 1991 तक कितने व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई; और

(ग) क्या सरकार "मृत्यु दंड" को समाप्त करने का विचार रखती है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) 31 अगस्त, 1991 को मृत्यु-दंड के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 8 थी।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1990 में और 31 अगस्त, 1991 तक 3 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।